राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS-SNA-18/FD/7266-82 दिनांक 10/03/26

1. SLBC Convener, Rajasthan, Jaipur को सभी संबंधित बैंको को प्रसारित किये जाने हेतु।
2. फील्ड महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक नेहरू प्लेस, टोंक रोड़, जयपुर।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक, कोटक महेन्द्रा बैंक, श्री कृष्णा टावर, 57 सरदार पटेल मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एक्सिस बैंक, 4th फ्लोर, बी–115, शांति टावर, सिविल लाईंस, जयपुर।
5. क्षेत्रीय प्रबन्धक, केनरा बैंक, ऑरबिट मॉल, अजमेर रोड़, जयपुर।
6. उपमहाप्रबन्धक (जीबीयू), भारतीय स्टेट बैंक, तिलक मार्ग, जयपुर।
7. उपमहाप्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, किसान भवन, लालकोठी, जयपुर।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू.को. बैंक, ऑरबिट मॉल, अजमेर रोड, जयपुर।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, सी–96, कमल कुंज सुभाष मार्ग, सी–स्कीम जयपुर
10. उपमहाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर।
11. क्षेत्रीय प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, सी–99, श्रीजी टॉवर, अंहिसा सर्किल,जयपुर।
12. क्षेत्रीय प्रबन्धक, ऐयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक, 19–ए, धूलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर।
13. क्षेत्रीय प्रबन्धक, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, 6th फ्लोर, फॉरच्यून हाईट्स, अहिंसा सर्कल, सी–स्कीम, जयपुर।
14. क्षेत्रीय प्रबन्धक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, पृथ्वीराज मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
15. क्षेत्रीय प्रबन्धक, इंडसइंड बैंक, 6th फ्लोर, फॉरच्यून हाईट्स, अहिंसा सर्कल, सी–स्कीम, जयपुर।
16. क्षेत्रीय प्रबन्धक, येस बैंक, जी–2, भू–तल, ग्रीन हाऊस, प्लाट नं.–15 अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
17. क्षेत्रीय प्रबन्धक, इण्डियन बैंक, जयपुर।

विषयः **माह मार्च 2026 के दौरान SNA e-Payment File का भुगतान समय पर करने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 समाप्ति की ओर है तथा एसएनए योजनान्तर्गत क्रियान्वयन एजेन्सियों (IA's) को आवंटित सीमा का पूर्ण उपयोग एवं लाभार्थियों / वेण्डर्स को समय पर भुगतान सुनिश्चित किए जाने हेतु निम्नांकित कार्यवाही करें :–

1. SFTP/API पर SNA e-Payment Files प्राप्त होने पर इन्हे NEFT/RTGS प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए आधे घण्टे की भीतर प्रोसेस किया जाना सुनिश्चित करते हुए पेमेन्ट फाईल्स के ACK/DN/RN/NCK भी एक घण्टे के अन्दर उपलब्ध करावें।
2. अकाउण्ट स्टेटमेंट T+1 Basis पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। दिनांक 31.03.2026 को किये गये भुगतानों का Account Statement उसी दिन रात्रि 12:00 बजे तक भिजवाना सुनिश्चित करें।
3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 31 मार्च 2026 को राजकीय अवकाश के दौरान भी ई–कुबेर से भुगतान किया जायेगा। अतः सभी एस.एन.ए. खाताधारक बैंक, उक्त अवकाशों के दौरान भी भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

9/3/2026

4. बैंक अपने एस.एफ.टी.पी. को Active रखना सुनिश्चित करेंगे। एस.एफ.टी.पी. बंद होने/धीरे चलने के कारण Payment Files Delay की जिम्मेदारी बैंक की होगी।
5. सभी बैंक द्वारा मार्च माह में होने वाले समस्त संव्यवहारों का भुगतान उसी दिन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अगर बैंक द्वारा भुगतान करने में विलम्ब होता है तो MoU की शर्तों के अनुसार बैंक पर पेनल्टी देय होगी।
6. SNA बैंक खाता संधारक शाखा प्रबन्धक के मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. एसएनए खाताधारक विभाग, वित्त विभाग, कोष एवं लेखा विभाग तथा एन.आई.सी. को शीघ्र उपलब्ध करवाये जाये।
7. दिनांक 25.03.2026 से 31.03.2026 तक प्रत्येक बैंक का एक प्रतिनिधि कोष एवं लेखा विभाग में उपस्थित रहेंगे ताकि एसएनए भुगतानों में समस्या आने पर उनका त्वरित समाधान एन.आई.सी. के साथ समन्वय करके किया जा सके।
8. वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस (दिनांक 31.03.2026) को समस्त SNA e-Payment Files का भुगतान रात्रि 11.00 बजे तक किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा रात्रि 12:00 बजे तक एस.एन.ए. पेमेन्ट फाईल्स का DN/RN एवं Account Statement उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
9. वित्तीय वर्ष 2025-2026 से संबंधित किसी भी पेंडिंग फाइल का भुगतान दिनांक 01.04.2026 अथवा उसके पश्चात् नहीं किया जाए।
10. दिनांक 31.03.2026 की एसएनए खाते में उपलब्ध बैलेन्स की सूचना एसएनए खाता धारक विभाग, एन.आई.सी. तथा कोष एवं लेखा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
11. एसएनए भुगतानों में से की गई आयकर कटौती, जीएसटी-टीडीएस व स्टेट टैक्स की कटौतियों की पेमेन्ट फाईल्स का भुगतान तुरन्त किया जाना सुनिश्चित करें।
12. वित्तीय वर्ष समाप्ति सन्निकट होने के कारण माह मार्च के अंतिम सप्ताहों में कार्यभार की अधिकता होने के कारण बैंक द्वारा सिस्टम में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक पेमेन्ट फाईल का दो बार भुगतान न हो पाए। यदि त्रुटिवश बैंक से दोहरा भुगतान हो जाता हैं तो इसको वसूलने की जिम्मेदारी संबंधित बैंक की होगी।

उपर्युक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए अन्यथा आपके बैंक से एसएनए खाते को वित्त विभाग द्वारा बन्द किया जाकर अन्य किसी बैंक में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।

भवदीया

9/3/2026

(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS-SNA-18/FD/ 7283-88 दिनांक 10/03/26

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक (IFMS), कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.।
6. संयुक्त निदेशक वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)